

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

सं० संख्या-5 न०वि०/निर्वा-06/2017 1108 पटना, दिनांक-21/2/18  
नगर पंचायत, केसरिया (पूर्वी चम्पारण) एवं नगर पंचायत, साहेबगंज  
(मुजफ्फरपुर) का आम निर्वाचन संबंधी निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-1067  
दिनांक-20.02.2018 को एतद् द्वारा रद्द किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से,  
21/2/2018  
(चैतन्य प्रसाद)  
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-5 न०वि०/निर्वा-06/2017 1108 पटना, दिनांक 21/2/18  
प्रतिलिपि: अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार  
राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित/ई-गजट कोषांग, वित्त  
विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० के साथ ई-गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।  
उनसे अनुरोध है कि वे इस अधिसूचना की पच्चीस प्रतियां नगर विकास  
एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

21/2/2018  
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-5 न०वि०/निर्वा-06/2017 1108 पटना, दिनांक 21/2/18  
प्रतिलिपि: मुख्य सचिव, बिहार/मुख्यमंत्री के सचिव/विभागीय मंत्री/सभी  
विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी-सद-जिला  
निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), पूर्वी चम्पारण एवं मुजफ्फरपुर/सचिव, राज्य  
निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

21/2/2018  
प्रधान सचिव।